

पत्रांक-श्रम क० स०-18/2018

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीवान के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 380000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/नि.शक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० महंत चौधरी, पि० वर्ग	श्री नरसिंह चौधरी (पिता)	182/16.03. 2018	ग्रा०-पड़रिया, पो०-सरसर, था०-मु० सिवान, प्र०-सिवान सदर, सिवान	32408206 31	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पचलखी, CBIN0288607	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर
2	स्व० पप्पु गिरी, स्व० राघव गिरी, पि० वर्ग	श्रीमती रिकु कुंवर (पत्नी)	183/16.03. 2018	ग्रा०-सरेया मठिया, पो०-पोखरा, था०+प्र०-महाराजगंज, सिवान	15550001 00329766	पंजाब नेशनल बैंक, दिनदयालपुर, PUNB0155500	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक
3	स्व० रूदल राम, स्व० लालजी राम, अनु० जाति	श्रीमती मंजु देवी (पत्नी)	184/16.03. 2018	ग्रा०-डो०के० सारगंपुर, पो०-तरवारा, था०+प्र०-महाराजगंज, सिवान	35990681 774	भारतीय स्टेट बैंक, तरवारा, SBIN0017825	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक
4	स्व० वकील मियाँ, स्व० रशीद मियाँ, पि० वर्ग	श्रीमती सहीदन खातुन (पत्नी)	185/16.03. 2018	ग्रा०-माधोपुर, पो०-पोखरा, था०+प्र०-महाराजगंज, सिवान	36459576 666	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराजगंज, SBIN0004577	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
5	स्व० रामनाथ राम, स्व० जीतन राम, अनु० जाति	श्रीमती बेदामी देवी (पत्नी)	186/16.03. 2018	ग्रा०+पो०-सकरा, था०+प्र०-महाराजगंज, सिवान	31307521 44	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तरवारा CBIN0281777	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिक्षा चालक
6	स्व० बड़ेलाल महतो, स्व० चन्द्रदेव महतो, अ० पि० वर्ग	श्रीमती देवांती देवी (पत्नी)	196/21.03. 2018	ग्रा०+पो०+था०+प्र०-गुठनी, सिवान	13651080 92855	केनरा बैंक, CNRB0001365	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ठेला चालक
7	स्व० रामराज राम, श्री गोपी राम, अनु० जाति	श्रीमती कलावती देवी (पत्नी)	197/21.03. 2018	ग्रा०-उसरी, पो०-तरवारा, था०-जी०बी०नगर, प्र०-महाराजगंज, सिवान	32837424 579	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तरवारा, SBIN0013132	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक
8	स्व० बाबू लाल राम, श्री लक्ष्मण राम, अनु० जाति	श्रीमती लालदेई देवी (पत्नी)	198/21.03. 2018	ग्रा०-बरवां कला, पो०+था०+प्र०-बसंतपुर, सिवान	39784274 06	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बसंतपुर, CBIN0281274	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक

कुल :- ₹ 380000/-

(तीन लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बच खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" व सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-18/2018 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RIGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 380000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, सीवान को उनके पत्रांक 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 दिनांक 26.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सीवान को उनके ज्ञापांक 182, 183, 184, 185, 186 दिनांक 16.03.2018 196, 197, 198 दिनांक 21.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-13/2018-166

पटना, दिनांक :- 27-04-18

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।